न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/137/2021	08–10–2021	27–06–2022

01– भगवान सहाय पुत्र पन्ना लाल जाति मीना निवासी ग्राम चुरानी तहसील थानागाजी जिला अलवर (राजस्थान)

–: अपीलाण्ट

बनाम

01– तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर।

–: रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार थानागाजी दिनांक 12.05.2017 अन्तर्गत भू0 राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 91 के तहत प्रकरण संख्या 43/2017

उपस्थितः–

01– श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल –वकील अपीलाण्ट

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार थानागाजी के आदेश दिनांक 12.05.2017 प्रकरण संख्या 43/2017 जिसके द्वारा सम्वत 2073 में अपीलान्ट को ग्राम चुरानी तहसील थानागाजी की आराजी खसरा नम्बर 1088 रकबा 25.90 है0 में से 0.10 है0 किस्म गैर मुमकिन पहाड में पक्की दीवार बनाकर एवं बोंरिग लगाकर अतिक्रमण किये जाने पर बेदखली/पैनल्टी की कायम किये जाने से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि पटवारी हल्का गुढा चुरानी ने भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत ग्राम चुरानी की आराजी खसरा नम्बर 1088 रकबा 25.90 है0 में से 0.10 है0 किस्म गैर मुमकिन पहाड में अपीलान्ट द्वारा सम्वत 2073 फसल रबी में पक्की दीवार बनाकर एवं बोंरिग लगाकर अतिक्रमण किये जाने पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। जिस पर अतिक्रमी को नोटिस जारी किया गया अतिक्रमी तहत अदालत में उपस्थित होकर अपना कथन प्रस्तुत किया। उसके उपरान्त बोला की आवश्यकता होगी तो आपको पुनः बुलवा लेगें लेकिन अतिक्रमी को पुनः तलब नही किया गया न ही साक्ष्य पेश करने का एंव सुनवाई का कोई अवसर दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के खिलाफ है। तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुये दिनाक 12.05.2017 को निर्णय पारित कर दिया गया। तहत अदालत ने निर्णय से पूर्व मौके पर जाकर कोई निरीक्षण नही किया न ही पटवारी हल्का से उक्त आराजी की पैमाईश करवाई गयी। आराजी खसरा न0 1088 रकबा 25.90 है0 का काफी बडा रकबा है, जिसमें से 0.10 है0 रकबे पर अतिक्रमण होना बताया गया है। वह बिना पैमाईश के साबित नही हो सकता है। ऐसी स्थिति में तहत अदालत का निर्णय न्यायोचित नही है, निर्णय निरस्त फरमाया जावे। विवादित आराजी अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी से लगती हुई है, जिसमें अपीलान्ट ने एक बाडा बना कर उसमें पशु आदि बाधता है, तथा ईधन लकडी वगै0 डाली हुयी है। व एक पुख्ता बोरिग पानी के लिए करा रखा है। जिससे अपीलान्ट अपनी खातेदारी की आराजी की सिचाई करता है। यह बाडा/बोरिग

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अपीलान्ट द्वारा करीब 30–35 साल पूर्व से बना रखे है, तथा तभी से काविज चला आ रहा है। अपीलान्ट का उक्त बाडा व बोरिग जिस जगह पर कर रखा है, वह अपीलान्ट की खुद की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि का भाग है। वर्णित आराजी में अतिकमी का कोई अतिकमण नही किया गया है। अपीलान्ट अपनी खातेदारी की भूमि पर काविज है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय दिनाक 12.05.2017 प्रकरण संख्या 43/2017 का प्रचलन स्थगित फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर गनन किया। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि ग्राम चुरानी तहसील थानागाजी की आराजी खसरा नम्बर 1088 रकबा 25.90 है0 में से 0.10 है0 किस्म गैर मुमकिन पहाड में पक्की दीवार बनाकर एवं बोंरिग लगाकर कोई अतिकमण नही किया गया है। विवादित आराजी अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी से लगती हुई है। तहत अदालत द्वारा अतिकमित क्षेत्र की कोई पैमाइश नही की गयी है, वर्णित आराजी में एक बाडा बना रखा है, जिसमें पशु आदि बाधता है। तथा ईधन लकडी वगै0 डाली हुयी है, व एक पुख्ता बोरिग पानी के लिए करा रखा है। जिससे अपीलान्ट अपनी खातेदारी की आराजी की सिचाई करता है। यह बाडा/बोरिग अपीलान्ट द्वारा करीब 30–35 साल पूर्व से बना रखे है, तथा तभी से काविज चला आ रहा है। अपीलान्ट का उक्त बाडा व बोरिग जिस जगह पर कर रखा है, वह अपीलान्ट की खुद की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि का भाग है। तहत अदालत द्वारा सम्वत 2073 में अतिकमी के विरूद्व पटवारी हल्का गुढा चुरानी ने भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत ग्राम चुरानी तहसील थानागाजी की आराजी खसरा नम्बर 1088 रकबा 25.90 है0 में से 0.10 है0 किस्म गैर मुमकिन पहाड में नाजायज अतिकमण कर पक्की दीवार बनाकर एवं बोंरिग लगाकर अतिकमण किये जाने पर रिपोर्ट तहत अदालत में पेश की गयी प्रस्तुत रिपोर्ट पर अतिकमी को जरिये नोटिस तलब किया गया अतिकमी ने उपस्थित होकर कमशः दिनाक 20.03.2017, 11.04.2017 को जवाब पेश किया गया प्रस्तुत जवाब में स्वयः अतिकमी द्वारा अतिकमण किया जाना स्वीकार किया गया है, तथा किये गये अतिकमण को नियमन किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरण में प्रस्तुत जवाब के आधार पर कार्ययाही कर तहत अदालत द्वारा विधिवत कार्यवाही की जाकर दिनाक 12.05.2017 को अतिकमी के विरूद्व भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत निर्णय पारित किया गया है, प्रकरण में पारित निर्णय की पालना में कार्यवाही की गयी है। यहां यह भी उल्लेखनीय है, कि प्रकरण में वर्णित आराजी की किस्म गैर मुमकिन पहाड है, जो भारत सरकार की अधिसूचना 07.05.1992 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की क्षेणी में आती है। उक्त भूमि पर अतिकमण किये जाने का कोई अधिकार नही है। तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.05.2017 न्यायोचित प्रकियानुसार है, किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नही होता है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 12.05.2017 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

27.06.2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)